

Officer's Name: (Ms. / Mr.).....

Batch:- .....

Designation and Present Place of Posting:- .....

## QUESTION PAPER

### प्रश्न-पत्र

Important instructions:

**महत्वपूर्ण निर्देश :-**

- (a) There are 60 objective type multiple choice questions in this question paper.
- (a) इस प्रश्न पत्र में 60 वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय) प्रश्न हैं।
- (b) You have a time of 60 minutes to answer the questions.
- (b) प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 60 मिनट का समय है।
- (c) Every question has four choices. Please choose the best answer and make a checkmark (✓) on that choice of yours.
- (c) प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं। कृपया सही विकल्प चुनकर उस पर चिह्न (✓) लगाएँ।
- (d) Every right answer will be given 1 mark each.
- (d) प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा।
- (e) There is no negative marking for wrong answers.
- (e) गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं है।
- (f) Answers must be clearly and unambiguously marked. If there is any cutting, overlapping, dual ticks, ambiguity etc. in the ticks/answers, the decision of the Examination Committee shall be final in all such cases.
- (f) उत्तर स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से अंकित किए जाने चाहिए। यदि टिक चिह्न / उत्तर में कोई काट-छाँट, दोहरा टिक, अस्पष्टता आदि हो, तो ऐसे सभी मामलों में परीक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- (h) For your convenience, a Hindi translation of the original English question paper has been prepared. The original question paper is in English, so in the event of any discrepancy in the language of the question, the original English text will prevail. Please be informed.
- (h) आपकी सुविधा के लिए अंग्रेजी के मूल प्रश्न पत्र का AI के माध्यम से हिन्दी अनुवान तैयार किया गया है। मूल प्रश्न पत्र अंग्रेजी में है, अतः प्रश्न की भाषा में किसी भी प्रकार विसंगति की स्थिति में प्रश्न का अंग्रेजी में मूल पाठ ही मान्य होगा, कृपया सूचित रहें।

- Q1.** As per Section 4 of the RTPP Act, 2012, which of the following is **NOT** a principle of public procurement?
- (1) Efficiency, economy and transparency
  - (2) Fair and equitable treatment to bidders
  - (3) Promotion of competition
  - (4) Preferential award to local bidders irrespective of competitiveness

**प्रश्न 1.** आरटीपीपी अधिनियम, 2012 की धारा 4 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौनसा-सार्वजनिक उपापन का सिद्धांत नहीं है ?

- (1) दक्षता, मितव्ययता एवं पारदर्शिता
- (2) बोलीदाताओं के साथ उचित एवं साम्यापूर्ण व्यवहार
- (3) प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
- (4) प्रतिस्पर्धा की परवाह किए बिना स्थानीय बोलीदाताओं को वरीयता देना

**Q2.** Which Rule of the RTPP Rules, 2013 specifies the procedure for **Single-Source Procurement**?

- (1) Rule 16
- (2) Rule 31
- (3) Rule 17
- (4) Rule 74

**प्रश्न 2.** आरटीपीपी नियम, 2013 का कौन सा नियम एकल स्रोत उपापन की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है ?

- (1) नियम 16
- (2) नियम 31
- (3) नियम 17
- (4) नियम 74

**Q3.** The definition of “procurement” under Section 2(xiii) **excludes**:

- (1) Acquisition of works, goods or services against a consideration
- (2) Public-Private Partnership projects
- (3) Acquisition through procurement agencies
- (4) Disposal of government properties

**प्रश्न 3.** धारा 2 (xiii) के अनुसार "उपापन" की परिभाषा से निम्नलिखित में से कौनसा बाहर - है?

- (1) कार्यों, वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रतिफल के बदले अधिग्रहण
- (2) सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएँ (PPP Projects)
- (3) उपापन एजेंसियों के माध्यम से अधिग्रहण
- (4) शासकीय संपत्तियों का निपटान

**Q4.** The State Procurement Facilitation Cell (SPFC) is administratively under:

- (1) Finance (Rules) Department
- (2) Finance (Financial Rules) Department
- (3) Finance (Revenue) Department
- (4) Finance (Audit) Department

**प्रश्न 4 .** राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ (SPFC) प्रशासनिक रूप से किसके अधीन है?

- (1) वित्त (नियम) विभाग
- (2) वित्त (वित्तीय नियम) विभाग
- (3) वित्त (राजस्व) विभाग
- (4) वित्त (अंकेक्षण) विभाग

**Q5.** As per Rule 7 of the RTPP Rules, the Procurement Plan is NOT expected to specify which ONE of the following:-

- (1) Nature of Procurement – Goods / Works / Services.
- (2) Categories of prospective bidders.
- (3) Source of Funds.
- (4) Budget Code

**प्रश्न 5 .** नियम 7, आरटीपीपी नियम, 2013 के अनुसार उपापन योजना (Procurement Plan) में निम्नलिखित में से कौन-सा निर्दिष्ट करना अपेक्षित नहीं है?

- (1) उपापन की प्रकृति- माल/संकर्म/सेवाएँ
- (2) भावी बोलीदाताओं की श्रेणियाँ
- (3) निधियों का स्रोत
- (4) बजट कोड

**Q6.** Which section empowers the State Government to make rules under the Act?

- (1) Section 44
- (2) Section 55
- (3) Section 56
- (4) Section 58

**प्रश्न 6.** आरटीपीपी अधिनियम की कौन-सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार शक्ति प्रदान करती है?

- (1) धारा 44
- (2) धारा 55
- (3) धारा 56
- (4) धारा 58

**Q7.** Which section of the RTPP Act prescribes the procedure for **Two-Stage Bidding**?

- (1) Section 32
- (2) Section 18
- (3) Section 13
- (4) Section 40

**प्रश्न 7.** आरटीपीपी नियमों की कौन-सी धारा द्वि-प्रक्रमी बोली (Two-Stage Bidding) की प्रक्रिया निर्धारित करती है?

- (1) धारा 32
- (2) नियम 18
- (3) नियम 13
- (4) नियम 40

**Q8.** Which of the following is NOT a ground for debarment under Section 46?

- (1) Conviction under anti-corruption laws
- (2) Breach of Code of Integrity
- (3) Forfeiture of performance security
- (4) Submission of clarifications after bid opening, without being asked for.



प्रश्न 8. धारा 46 के अंतर्गत निष्कासन (Debarment) के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा आधार नहीं है?

- (1) भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के अंतर्गत दोषसिद्धि
- (2) आचार संहिता (Code of Integrity) का उल्लंघन
- (3) कार्यनिष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) का जब्तीकरण
- (4) वित्तीय निविदा खोलने के बाद बिना माँगे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना

Q9. Under the RTPP Rules, the **bid security** for open competitive bidding for an MSME of any other State of India, i.e. not an MSME of the State of Rajasthan, shall be:

- (1) 1% of estimated value
- (2) 2% of estimated value
- (3) 5% of estimated value
- (4) 0.5% of estimated value

प्रश्न 9. आरटीपीपी नियमों के अनुसार, राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी राज्य की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) इकाई हेतु खुली प्रतियोगी बोली प्रतिस्पर्धी निविदा में बोली प्रतिभूति (Bid Security) कितनी होगी?

- (1) अनुमानित मूल्य का 1%
- (2) अनुमानित मूल्य का 2%
- (3) अनुमानित मूल्य का 5%
- (4) अनुमानित मूल्य का 0.5%

Q10. Section 20 requires certain elements in an invitation to bid. Which is **NOT** specifically required in these conditions?

- (1) Description of subject matter.
- (2) Specifications and quantity/location.
- (3) Date, time and manner of submission.
- (4) Bank-solvency certificate of bidders.

प्रश्न 10 . धारा 20 के अनुसार निविदा आमंत्रण (Invitation to Bid) में कुछ आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया जाना चाहिए। इनमें से कौन-सा तत्व आवश्यक रूप से अपेक्षित नहीं है?

- (1) विषय वस्तु का विवरण
- (2) विनिर्देश, मात्रा/स्थान
- (3) प्रस्तुति की तिथि, समय एवं तरीका
- (4) बोलीदाताओं का बैंक-सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र

Q11. Under Section 38, an aggrieved bidder must file the **second appeal** within:

- (1) 15 days
- (2) 10 days
- (3) 30 days
- (4) 45 days

प्रश्न 11 . धारा 38 के अंतर्गत, कोई भी व्यथित बोलीदाता (Aggrieved Bidder) दूसरी अपील कितने समय के भीतर दायर करेगा?

- (1) 15 दिन
- (2) 10 दिन
- (3) 30 दिन
- (4) 45 दिन

Q12. Under Section 39, a stay of procurement proceedings may be granted if:

- (1) Proceedings are likely to infringe the principles of natural justice
- (2) Continuance of proceedings is likely to render the application infructuous
- (3) Failure to stay is likely to lead to miscarriage of justice.
- (4) The authority is satisfied that substantial loss may result to the applicant if no stay is granted

प्रश्न 12 . धारा 39 के अंतर्गत उपापन कार्यवाही पर स्थगन (Stay) तब दिया जा सकता है जब:

- (1) कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली हो
- (2) कार्यवाही जारी रखने से आवेदन निष्फल होने की संभावना हो
- (3) स्थगन न देने से न्याय का हनन होने की संभावना हो
- (4) प्राधिकारी को संतोष हो कि यदि स्थगन नहीं दिया गया तो आवेदक को गंभीर हानि होगी

- Q13.** Section 49 permits withholding of information on certain grounds. Which is **NOT** listed?
- (1) Disclosure is likely to impede enforcement of law
  - (2) Disclosure is likely to affect security or strategic interests of India
  - (3) Disclosure is likely to affect the intellectual property rights or legitimate commercial interests of bidders
  - (4) Disclosure is likely to expose the identity of evaluation committee members

- प्रश्न 13 .** धारा 49 कुछ आधारों पर सूचना रोकने की अनुमति देता है। इनमें से कौन-सा आधार सूचीबद्ध नहीं है?
- (1) खुलासा करने से कानून प्रवर्तन में बाधा आ सकती है
  - (2) खुलासा करने से भारत की सुरक्षा या सामरिक हित प्रभावित हो सकते हैं
  - (3) खुलासा करने से बोलीदाताओं के बौद्धिक संपदा अधिकार अथवा वैध वाणिज्यिक हित प्रभावित हो सकते हैं
  - (4) खुलासा करने से मूल्यांकन समिति के सदस्यों की पहचान उजागर हो सकती है

- Q14.** During a open competitive bidding process, the estimated value of the subject matter of procurement was Rs. 1,00,000/-. The successful bidder quoted its bid price of Rs. 70,000/-. So, in such a case, the amount of Additional Performance Security required to be submitted by the successful bidder to the Procuring Entity shall be:-
- (1) Rs. 15,000/-
  - (2) Rs. 7,500/-
  - (3) Rs. 30,000/-
  - (4) No additional performance security is required in this case.

- प्रश्न 14 .** एक खुली प्रतियोगी बोली में उपापन विषय का अनुमानित मूल्य ₹1,00,000/- था। सफल निविदाकार ने अपनी बोली ₹70,000/- की दी। इस स्थिति में सफल बोलीदाता से उपापन संस्था को कितनी अतिरिक्त कार्यसम्पादन प्रतिभूति (Additional Performance Security) लेनी होगी?
- (1) ₹15,000/-
  - (2) ₹7,500/-
  - (3) ₹30,000/-
  - (4) इस स्थिति में कोई अतिरिक्त कार्यसम्पादन प्रतिभूति अपेक्षित नहीं है



**Q15.** What is the maximum period for which a bidder can be debarred under the RTPP Rules, 2013 (without prejudice to any other action)?

- (1) 2 years
- (2) 3 years
- (3) 5 years
- (4) 7 years

**प्रश्न 15 .** आरटीपीपी नियम, 2013 के अंतर्गत (किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त) किसी बोलीदाता को अधिकतम कितने समय तक विसर्जित (Debarred) किया जा सकता है?

- (1) 2 वर्ष
- (2) 3 वर्ष
- (3) 5 वर्ष
- (4) 7 वर्ष

**Q16.** If a bidder has been debarred by a Procuring Entity in Rajasthan for one year, then the debarred bidder will NOT be able to participate for one year in the bidding processes of:

- (1) The Procuring Entity, which has debarred that bidder.
- (2) All the Procuring Entities of the District.
- (3) All the Procuring Entities of the Division.
- (4) All the Procuring Entities across the State.

**प्रश्न 16 .** यदि किसी उपापन संस्था द्वारा किसी बोलीदाता को राजस्थान में एक वर्ष हेतु निष्कासित किया गया है, तो वह निष्कासित बोलीदाता एक वर्ष तक किस स्तर पर निविदा प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले सकेगा?

- (1) उसी उपापन संस्था में जिसने निष्कासित किया है
- (2) जिले की सभी उपापन संस्थाओं में
- (3) संभाग की सभी उपापन संस्थाओं में
- (4) राज्य की सभी उपापन संस्थाओं में

**Q17.** Which of the following notifications **DOES NOT** relate to purchase preferences prescribed under the RTPP Act and Rules:

- (1) Finance Department's Notification dated 19.11.2015.
- (2) Finance Department's Notification dated 28.08.2018.
- (3) Finance Department's Notification dated 30.08.2018.
- (4) Finance Department's Notification dated 20.10.2020.



**प्रश्न 17 .** निम्नलिखित में से कौन-सी वित्त विभाग की अधिसूचना, आरटीपीपी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत क्रय अधिमानता (Purchase Preferences) से संबंधित नहीं है?

- (1) अधिसूचना दिनांक 19.11.2015
- (2) अधिसूचना दिनांक 28.08.2018
- (3) अधिसूचना दिनांक 30.08.2018
- (4) अधिसूचना दिनांक 20.10.2020

**Q18.** As per Section 6 (4) of the RTPP Act, the State Government or any procuring entity may NOT enforce measures limiting participation on account of the need:

- (1) To protect public order, morality or safety.
- (2) To protect human, animal or plant life or their health
- (3) To protect intellectual property
- (4) To protect the financial interest of the Boards and Corporations of the State.

**प्रश्न 18 .** आरटीपीपी अधिनियम की धारा 6(4) के अनुसार राज्य सरकार अथवा कोई उपापन संस्था निम्नलिखित में से किस कारण से भागीदारी सीमित करने के उपाय लागू नहीं कर सकती?

- (1) लोक व्यवस्था, सधाचार अथवा सुरक्षा की रक्षा हेतु
- (2) मानव, पशु अथवा वनस्पति जीवन या उनके स्वास्थ्य की रक्षा हेतु
- (3) बौद्धिक संपदा की रक्षा हेतु
- (4) राज्य की बोर्ड एवं निगमों के वित्तीय हितों की रक्षा हेतु

**Q19.** Rule 75A provides for:

- (1) Treatment of abnormally low bids.
- (2) Debarment of bidders.
- (3) Confidentiality requirements.
- (4) Swiss Challenge Method of Procurement.

**प्रश्न 19 .** नियम 75A में किसका प्रावधान किया गया है?

- (1) असामान्य रूप से कम बोली (Abnormally Low Bids) का निपटान
- (2) बोलीदाताओं निविदाकारों का निष्कासन (Debarment)
- (3) गोपनीयता की आवश्यकताएँ
- (4) स्विस् चैलेंज उपापन पद्धति (Swiss Challenge Method of Procurement)

- Q20.** At present, the prescribed threshold limits for going for e-procurement are:
- (1) For Goods & Services, an estimated value of ₹ 10 lakh or more and for Works, an estimated value of ₹ 5 lakh or more must use e-procurement.
  - (2) For Goods & Services, an estimated value of ₹ 25 lakh or more and for Works, an estimated value of ₹ 10 lakh or more must use e-procurement.
  - (3) For Goods & Services, an estimated value of ₹ 5 lakh or more and for Works, an estimated value of ₹ 2 lakh or more must use e-procurement.
  - (4) For Goods, Works or Services, an estimated value of ₹ 10 lakh or more must use e-procurement.

- प्रश्न 20 .** वर्तमान में, ई-उपापन (E-Procurement) हेतु निर्धारित सीमाये (Threshold Limits) निम्नलिखित में से कौन-सी है?
- (1) माल एवं सेवाएँ – अनुमानित मूल्य ₹10 लाख या उससे अधिक; संकर्म – अनुमानित मूल्य ₹5 लाख या उससे अधिक
  - (2) माल एवं सेवाएँ – अनुमानित मूल्य ₹25 लाख या उससे अधिक; संकर्म – अनुमानित मूल्य ₹10 लाख या उससे अधिक
  - (3) माल एवं सेवाएँ – अनुमानित मूल्य ₹5 लाख या उससे अधिक; संकर्म – अनुमानित मूल्य ₹2 लाख या उससे अधिक
  - (4) माल, संकर्म अथवा सेवाएँ – अनुमानित मूल्य ₹10 लाख या उससे अधिक

- Q21.** The RTPP Act, 2012 came into force on:
- (1) 01 January 2012
  - (2) 26 January 2012
  - (3) 26 January 2013
  - (4) 01 April 2013

- प्रश्न 21 .** आरटीपीपी अधिनियम, 2012 कब प्रभावी हुआ?
- (1) 01 जनवरी 2012
  - (2) 26 जनवरी 2012
  - (3) 26 जनवरी 2013
  - (4) 01 अप्रैल 2013

- Q22.** The number of Sections in the RTPP Act and the Rules in the RTPP Rules respectively is:
- (1) 59 Sections and 86 Rules
  - (2) 79 Sections and 106 Rules
  - (3) 49 Sections and 76 Rules
  - (4) 86 Sections and 59 Rules

**प्रश्न 22 .** आरटीपीपी अधिनियम में कुल धाराओं की संख्या और आरटीपीपी नियमों में नियमों की संख्या क्रमशः कितनी है?

- (1) 59 धाराएँ और 86 नियम
- (2) 79 धाराएँ और 106 नियम
- (3) 49 धाराएँ और 76 नियम
- (4) 86 धाराएँ और 59 नियम

**Q23.** For the purposes of the RTPP Act and Rules, the term “procuring entity” DOES NOT mean:

- (1) Any department of the State Government or its attached or subordinate office
- (2) Any State Public Sector Enterprise owned or controlled by the State Government
- (3) Anybody established or constituted by the Constitution whose expenditure is met from the Consolidated Fund of the State
- (4) Anybody or board or corporation or authority or society or trust or autonomous body (by whatever name called) in the State of Rajasthan, even if neither owned nor controlled by the State Government.

**प्रश्न 23 .** आरटीपीपी अधिनियम और नियमों के प्रयोजन हेतु उपापन संस्था का अर्थ निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता?

- (1) राज्य सरकार का कोई विभाग अथवा उसका संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय
- (2) राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली कोई राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (State Public Sector Enterprise)
- (3) संविधान द्वारा स्थापित अथवा गठित कोई निकाय जिसकी व्यय राशि राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) से वहन की जाती हो
- (4) राज्य का कोई निकाय, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, सोसाइटी, ट्रस्ट अथवा स्वायत्त निकाय (किसी भी नाम से), भले ही उसका स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास न हो



**Q24.** Which Rule prescribes the use of **limited bidding**?

- (1) Rule 14
- (2) Rule 15
- (3) Rule 16
- (4) Rule 18

**प्रश्न 24 .** सीमित निविदा (Limited Bidding) का उपयोग किस नियम में निर्धारित है?

- (1) नियम 14
- (2) नियम 15
- (3) नियम 16
- (4) नियम 18

**Q25.** Section 10 of the Act deals with:

- (1) Two-part bidding.
- (2) Pre-qualification of bidders.
- (3) Debarment of bidders.
- (4) Documentary record of procurement proceedings.

**प्रश्न 25 .** अधिनियम की धारा 10 का संबंध किससे है?

- (1) द्वि-प्रक्रमी बोली निविदा (Two-part bidding)
- (2) बोलीदाताओं निविदाकारों की पूर्व-योग्यता (Pre-qualification of bidders)
- (3) निविदाकारों का निष्कासन (Debarment of bidders)
- (4) उपापन कार्यवाहियों का अभिलेखीय रिकॉर्ड (Documentary record of procurement proceedings)

**Q26.** A bidder who withdraws from the procurement process after opening of financial bids shall be punished with fine which may extend to:

- (1) Fifty lakh rupees or ten per cent of the assessed value of procurement, whichever is less.
- (2) Fifty lakh rupees or ten per cent of the assessed value of procurement, whichever is more.
- (3) Twenty lakh rupees or five per cent of the assessed value of procurement, whichever is less.
- (4) Twenty lakh rupees or five per cent of the assessed value of procurement, whichever is more.

**प्रश्न 26.** यदि कोई निविदाकार वित्तीय बोलिया खोले जाने के बाद उपापन प्रक्रिया से हट जाता है, तो उसे कितने तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है?

- (1) पचास लाख रुपये या उपापन के निर्धारित मूल्य का दस प्रतिशत, जो भी कम हो
- (2) पचास लाख रुपये या उपापन के निर्धारित मूल्य का दस प्रतिशत, जो भी अधिक हो
- (3) बीस लाख रुपये या उपापन के निर्धारित मूल्य का पाँच प्रतिशत, जो भी कम हो
- (4) बीस लाख रुपये या उपापन के निर्धारित मूल्य का पाँच प्रतिशत, जो भी अधिक हो

**Q27.** Under the provisions of the RTPP Rules, before the last time and date fixed for receipt of bids, a bidder may:

- (1) Withdraw its bid, but substitution of bid is not allowed.
- (2) Withdraw or substitute its bid, but modification of bid is not allowed.
- (3) Substitute or modify its bid, but withdrawal of bid is not allowed.
- (4) Withdraw or Substitute or Modify its bid.

**प्रश्न 27.** आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों के अनुसार, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व, कोई बोलीदाता निम्नांकित क्या कर सकता है?

- (1) अपनी बोली वापस ले सकता है, परंतु प्रतिस्थापन नहीं कर सकता
- (2) बोली वापस ले सकता है अथवा प्रतिस्थापित कर सकता है, परंतु संशोधित नहीं कर सकता
- (3) बोली प्रतिस्थापित कर सकता है अथवा संशोधित कर सकता है, परंतु वापस नहीं ले सकता
- (4) बोली वापस ले सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है या संशोधित कर सकता है

**Q28.** Bid security shall NOT be taken in case of:

- (1) Two-stage bidding.
- (2) Rate contract.
- (3) Electronic reverse auction.
- (4) Competitive negotiations.

**प्रश्न 28.** निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति (Bid Security) नहीं ली जाएगी?

- (1) द्वि-प्रक्रमी बोली (Two-stage bidding)
- (2) दर संविदा (Rate contract)
- (3) ई-रिवर्स नीलामी (Electronic Reverse Auction)
- (4) प्रतियोगी बातचीत (Competitive Negotiations)

**Q29.** Which Rule of the RTPP Rules allows negotiations only with the lowest evaluated responsive bidder (L1)?

- (1) Rule 60
- (2) Rule 65
- (3) Rule 69
- (4) Rule 73

**प्रश्न 29 .** आरटीपीपी नियमों का कौनसा नियम केवल न्यूनतम मूल्यांकित उत्तरदायी बोलीदाता (L1) (Lowest Evaluated Responsive Bidder) के साथ ही वार्ता (Negotiation) की अनुमति देता है?

- (1) नियम 60
- (2) नियम 65
- (3) नियम 69
- (4) नियम 73

**Q30.** Bid Security **CANNOT** be taken in which of the following forms:

- (1) Banker's cheque or demand draft.
- (2) Bank guarantee or electronic bank guarantee.
- (3) Deposit through eGRAS.
- (4) Fixed Deposit Receipt (FDR) of a Scheduled Bank

**प्रश्न 30 .** निम्नलिखित में से किस रूप में बोली प्रतिभूति (Bid Security) स्वीकार नहीं की जा सकती?

- (1) बैंकर्स चेक या माँग डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft)
- (2) बैंक गारंटी या इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी
- (3) ई-जीआरएस (eGRAS) के माध्यम से जमा
- (4) अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt – FDR)



**Q31.**

Which of the statements regarding Performance Security under RTPP Rules is **FALSE**:

- (1) The amount of performance security shall be five percent, or as may be specified in the bidding documents, of the amount of supply order in case of procurement of goods and services and ten percent of the amount of work order in case of procurement of works.
- (2) Performance Security can be taken in the form of Banker's Cheque or Demand Draft.
- (3) Performance security shall remain valid for a period of ninety days beyond the date of completion of all contractual obligations of the bidder, including warranty obligations and maintenance and defect liability period.
- (4) In case of procurement of works, fifty percentage of the performance security shall be refunded to the contractor on completion of the work and passing of the final bill and the remaining fifty percentage of performance security shall be refunded on satisfactory completion of the defect liability period.

**प्रश्न 31 .** आरटीपीपी नियमों के अंतर्गत कार्यनिष्पादन सुरक्षा (Performance Security) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

- (1) वस्तुओं एवं सेवाओं के उपापन में कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि आपूर्ति आदेश की राशि का पाँच प्रतिशत या निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुसार होगी और संक्रमों के उपापन में कार्य आदेश की राशि का दस प्रतिशत होगी।
- (2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति बैंकर्स चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ली जा सकती है।
- (3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति सभी संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति की तिथि से नब्बे दिन अतिरिक्त अवधि तक वैध रहेगी, जिसमें वारंटी दायित्व, अनुरक्षण और दोष दायित्व अवधि शामिल है।
- (4) कार्यों के उपापन के मामले में, कार्य पूर्ण होने और अंतिम बिल पारित होने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति का पचास प्रतिशत लौटाया जाएगा तथा शेष पचास प्रतिशत Defect Liability Period की संतोषजनक पूर्णता पर लौटाया जाएगा।

**Q32.** During an open competitive bidding process, if the Procuring Entity is left with only one responsive bid, then, in such a situation of lack of competition, the Procuring Entity should refer which of the following provisions of the RTPP Rules to decide as to whether to move ahead with the bidding process:

- (1) Rule 63
- (2) Rule 68
- (3) Rule 69
- (4) Rule 70

**प्रश्न 32 .** एक खुली प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया में यदि उपापन संस्था के पास केवल एक ही उत्तरदायी (responsive) निविदा शेष रह जाए, तो ऐसी प्रतिस्पर्धा की कमी की स्थिति में उपापन संस्था को निर्णय लेने के लिए आरटीपीपी नियमों के किस नियम का संदर्भ लेना चाहिए?

- (1) नियम 63
- (2) नियम 68
- (3) नियम 69
- (4) नियम 70

**Q33.** Rule 75 deals with:

- (1) Empanelment of bidders
- (2) Performance Security
- (3) Emergency procurement
- (4) Rate contracts

**प्रश्न 33 .** नियम 75 का संबंध किससे है?

- (1) बोलीदाताओं का पैनल (Empanelment of bidders)
- (2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security)
- (3) आकस्मिक उपापन (Emergency Procurement)
- (4) दर संविदाएँ (Rate Contracts)

**Q34.** Under Section 17, which of the following information is not specifically required to be provided in relation to procurement on State Public Procurement Portal:

- (1) List of bidders excluded under section 25, with reasons.
- (2) Decisions of Appellate Authorities on appeals.
- (3) Particulars of Appellate Authorities.
- (4) Particulars of bidders who have been debarred.

**प्रश्न 34 .** धारा 17 के अंतर्गत, राज्य सार्वजनिक उपापन पोर्टल पर उपापन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सी सूचना विशेष रूप से प्रदान करना आवश्यक नहीं है?

- (1) धारा 25 के अंतर्गत उपवर्जित (extended) बोलीदाताओं की सूची एवं कारण
- (2) अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णय
- (3) अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण
- (4) विवर्जित बोलीदाताओं का विवरण

**Q35.** Section 14 of the RTPP Act requires the procuring entity to:

- (1) Publish justification for rejecting bids on the State Public Procurement Portal.
- (2) Obtain prior concurrence from the competent administrative authority.
- (3) Specify the criteria for evaluation of bids in the bidding documents.
- (4) Secure approval of the evaluation process from next higher authority before award.

**प्रश्न 35 .** आरटीपीपी अधिनियम की धारा 14 के अनुसार उपापन संस्था को:

- (1) निविदाओं को अस्वीकार करने का औचित्य राज्य सार्वजनिक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित करना चाहिए
- (2) सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी से पूर्व सहमति प्राप्त करनी चाहिए
- (3) निविदा दस्तावेजों में मूल्यांकन हेतु मानदंड निर्दिष्ट करना चाहिए
- (4) संविदा देने से पूर्व मूल्यांकन प्रक्रिया को उच्चतर प्राधिकारी से अनुमोदित कराना चाहिए

**Q36.** Which of the combination of provisions of the RTPP Act remain applicable on the procurements made by a procuring entity through GeM Portal:

- (1) Sections 4, 7, 11 & 26
- (2) Sections 4, 11, 17 & 26
- (3) Sections 4, 17, 24 & 42
- (4) Sections 4, 11, 17 & 46



**प्रश्न 36 .** आरटीपीपी अधिनियम के कौन-से प्रावधान GeM पोर्टल के माध्यम से किए गए उपापनों पर भी लागू होते हैं?

- (1) धाराएँ 4, 7, 11 एवं 26
- (2) धाराएँ 4, 11, 17 एवं 26
- (3) धाराएँ 4, 17, 24 एवं 42
- (4) धाराएँ 4, 11, 17 एवं 46

**Q37.** Rule 80 deals with:

- (1) Blacklisting of suppliers.
- (2) Record keeping of procurement proceedings.
- (3) Code of Integrity.
- (4) Post-contract monitoring.

**प्रश्न 37 .** नियम 80 का संबंध किससे है?

- (1) आपूर्तिकर्ताओं की ब्लैकलिस्टिंग
- (2) उपापन कार्यवाहियों का अभिलेख रख-रखाव (Record Keeping)
- (3) सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity)
- (4) उपरांत-संविदा निगरानी (Post-Contract Monitoring)

**Q38.** What among the following are NOT included in the functions of the State Procurement Facilitation Cell under Finance Department:

- (1) To arrange for training and certification as prescribed.
- (2) To recommend to the State Government measures for effective implementation of the provisions of the RTPP Act.
- (3) To examine and finalize the bidding documents of the Procuring Entities.
- (4) To encourage procuring entities to adopt electronic procurement.

**प्रश्न 38 .** वित्त विभाग के अंतर्गत राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ (SPFC) के कार्यों में से निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य सम्मिलित नहीं है?

- (1) नियमानुसार प्रशिक्षण एवं प्रमाणन की व्यवस्था करना
- (2) आरटीपीपी अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को उपाय सुझाना
- (3) उपापन संस्थाओं के निविदा दस्तावेजों की जाँच और अंतिमीकरण करना
- (4) उपापन संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक उपापन अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना

- Q39.** Rule 46 provides for the organization of pre-bid conferences:
- (1) To clarify the doubts of prospective bidders regarding terms and conditions of the bidding documents.
  - (2) To negotiate the prices quoted by bidders.
  - (3) To restrict participation by short-listing a limited number of suppliers.
  - (4) To enter into agreements or sign contracts with the bidders.

**प्रश्न 39 .** नियम 46 के अंतर्गत बोली पूर्व सम्मेलन (Pre-Bid Conference) आयोजित करने का उद्देश्य है:

- (1) निविदा दस्तावेजों की शर्तों एवं नियमों से संबंधित भावी बोलीदाताओं के संदेह दूर करना
- (2) बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत मूल्यों पर वार्ता करना
- (3) भागीदारी को सीमित करने हेतु सीमित आपूर्तिकर्ताओं की शॉर्ट-लिस्टिंग करना
- (4) बोलीदाताओं के साथ समझौते करना अथवा संविदाएँ हस्ताक्षरित करना

**Q40.** The number of days for calculating the response time of bids shall be from the date of first publication of the Notice Inviting Bid on:

- (1) State Public Procurement Portal.
- (2) Any of the newspapers
- (3) Notice Board of the procuring Entity.
- (4) E-procurement portal

**प्रश्न 40 .** निविदाओं के Response Time की गणना हेतु तिथि/दिनांक किस प्रकाशन से प्रारंभ मानी जाएगी?

- (1) राज्य सार्वजनिक उपापन पोर्टल पर प्रथम प्रकाशन से
- (2) किसी समाचार पत्र में प्रथम प्रकाशन से
- (3) उपापन संस्था के नोटिस बोर्ड से
- (4) ई-उपापन पोर्टल पर प्रथम प्रकाशन से

**Q41.** Which of these is a procurement method NOT specifically provided for, under Section 28 of the RTTP Act?

- (1) Open competitive bidding
- (2) Limited bidding
- (3) Expressions of Interest
- (4) Electronic Reverse Auction

**प्रश्न 41 .** आरटीपीपी अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी उपापन पद्धति विशेष रूप से प्रदत्त नहीं है?

- (1) खुली प्रतियोगी (Open Competitive Bidding)
- (2) सीमित निविदा (Limited Bidding)
- (3) अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expressions of Interest)
- (4) ई-रिवर्स नीलामी (Electronic Reverse Auction)

**Q42.** Which of the following statements are **FALSE** regarding period of validity of bids:

- (1) This period should normally be not more than ninety days, but depending on the nature of the procurement it may be more.
- (2) Prior to the expiry of the period of validity of bids, the procuring entity, in exceptional circumstances, may request the bidders to extend the bid validity period for an additional specified period of time.
- (3) A bidder whose bid security is not extended, or that has not submitted a new bid security, is considered to have refused the request to extend the period of validity of its bid.
- (4) If the period of original period of validity of bids expires, then the procuring entity can revive and extend the same after recording the reasons.

**प्रश्न 42 .** निविदाओं की वैधता अवधि (Validity Period of Bids) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

- (1) यह अवधि सामान्यतः नब्बे दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु उपापन की प्रकृति के अनुसार अधिक हो सकती है।
- (2) निविदाओं की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व, उपापन संस्था असाधारण परिस्थितियों में निविदाकारों से इसे बढ़ाने का अनुरोध कर सकती है।
- (3) वह निविदाकार जिसकी बोली सुरक्षा (Bid Security) नहीं बढ़ाई गई या जिसने नई बोली सुरक्षा प्रस्तुत नहीं की, उसे वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- (4) यदि मूल वैधता अवधि समाप्त हो जाए, तो उपापन संस्था कारण दर्ज कर इसे पुनर्जीवित कर और बढ़ा सकती है।



**Q43.** Under Section 43, whosoever intentionally files any vexatious, frivolous or malicious appeal or complaint under this Act, with the intention of delaying or defeating any procurement or causing loss to any procuring entity or any other bidder, shall be punished with fine which may extend to:

- (1) Twenty lakh rupees or five per cent of the value of procurement, whichever is less.
- (2) Fifty lakh rupees or 10 percent of the value of procurement, whichever is more.
- (3) Twenty lakh rupees or five per cent of the value of procurement, whichever is more.
- (4) Fifty lakh rupees or 10 percent of the value of procurement, whichever is less.

**प्रश्न 43 .** धारा 43 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत कोई vexatious frivolous अथवा द्वेषपूर्ण (malicious) अपील अथवा शिकायत केवल उपापन में देरी या विफलता लाने अथवा उपापन संस्था या किसी अन्य निविदाकार को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से दायर करता है, उसे अधिकतम कितने दंड से दंडित किया जा सकता है?

- (1) बीस लाख रुपये या उपापन मूल्य का पाँच प्रतिशत, जो कम हो
- (2) पचास लाख रुपये या उपापन मूल्य का दस प्रतिशत, जो अधिक हो
- (3) बीस लाख रुपये या उपापन मूल्य का पाँच प्रतिशत, जो अधिक हो
- (4) पचास लाख रुपये या उपापन मूल्य का दस प्रतिशत, जो कम हो

**Q44.** As per the RTPP rules, certain proposals are not acceptable under Swiss Challenge Method. Which of the following is NOT in that 'not acceptable' category:

- (1) Proposals/ projects which would result in monopolistic situation
- (2) Projects which are more than Rs. 50.00 crores (Rs. Fifty Crores) in value.
- (3) Proposals of PPP Projects involving financial assistance from State Government by way of viability gap funding (VGF) more than 20% of the total project cost, excluding the cost of land.
- (4) Proposals which contravene the provisions of any law that is in force.

प्रश्न 44 . आरटीपीपी नियमों के अनुसार, स्विस् चैलेंज पद्धति (Swiss Challenge Method) में कुछ प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन-सा 'स्वीकार्य नहीं' श्रेणी में नहीं आता?

- (1) ऐसे प्रस्ताव/परियोजनाएँ जो एकाधिकार स्थिति (Monopolistic Situation) उत्पन्न करें
- (2) ऐसी परियोजनाएँ जिनका मूल्य ₹50 करोड़ से अधिक हो
- (3) ऐसे PPP परियोजनाएँ जिनमें राज्य सरकार से Viability Gap Funding (VGF) कुल परियोजना लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) के 20% से अधिक हो
- (4) ऐसे प्रस्ताव जो किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन करते हों

Q45.

Which Section of the RTPP Act protects the action taken in good faith by an officer or employee of a procuring entity or any member of a committee constituted under the RTPP Act:

- (1) Section 15
- (2) Section 5
- (3) Section 51
- (4) Section 50

प्रश्न 45 . आरटीपीपी अधिनियम की कौन-सी धारा किसी उपापन संस्था के अधिकारी या कर्मचारी अथवा अधिनियम के अंतर्गत गठित समिति के किसी सदस्य को सद्भावना (Good Faith) में किए गए कार्य के लिए संरक्षण प्रदान करती है?

- (1) धारा 15
- (2) धारा 5
- (3) धारा 51
- (4) धारा 50

Q46.

Rule 77 provides for:

- (1) Confidentiality
- (2) Performance audit of procurement
- (3) E-procurement
- (4) Penalties

प्रश्न 46 . नियम 77 का संबंध किससे है?

- (1) नियम 77 का संबंध किससे है?
- (2) उपापन का कार्यनिष्पादन लेखा-परीक्षण (Performance Audit of Procurement)
- (3) ई-उपापन (E-Procurement)
- (4) दंड/ शास्तियों (Penalties)

Q47. Which of the following statements is NOT correct with respect to cancellation of the procurement process under the provisions of the RTPP Act and Rules:

- (1) A Procuring Entity may cancel the process of procurement initiated by it at any time prior to the acceptance of the successful bid.
- (2) If the bidder whose bid has been accepted as successful fails to sign any written procurement contract as required, the procuring entity may cancel the procurement process.
- (3) A procuring entity has the right to cancel any procurement process without recording reasons.
- (4) No appeals can be made against the decision of the procuring entity regarding cancellation of a procurement process.

प्रश्न 47 . आरटीपीपी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

- (1) उपापन संस्था, सफल निविदा की स्वीकृति से पूर्व किसी भी समय अपनी उपापन प्रक्रिया निरस्त कर सकती है।
- (2) यदि सफल निविदाकार आवश्यक लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है, तो उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया निरस्त कर सकती है।
- (3) उपापन संस्था बिना कारण रिकार्ड किए किसी भी उपापन प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार रखती है।
- (4) उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण के संबंध में उपापन संस्था के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

Q48. Section 15 allows:

- (1) Cancellation of procurement proceedings.
- (2) Grant of exemption to special categories of bidders.
- (3) Negotiation with bidders.
- (4) Right of appeals for the bidders.



**प्रश्न 48 .** आरटीपीपी अधिनियम की धारा 15 किससे संबंधित है?

- (1) उपापन कार्यवाहियों का निरस्तीकरण
- (2) बोलीदाताओं की विशेष श्रेणियों को छूट प्रदान करना
- (3) बोलीदाताओं के साथ वार्ता (Negotiation)
- (4) बोलीदाताओं को अपील का अधिकार प्रदान करना

**Q49.**

- Section 8 of the RTPP Act prohibits:
- (1) Splitting of procurement with an intention of limiting competition.
  - (2) Preparing bidding documents in a manner that confers an unfair advantage on a particular bidder.
  - (3) Restricting participation of bidders by prescribing unrelated or disproportionate qualification criteria.
  - (4) Drafting specifications that are tailored to the products of a particular manufacturer.

**प्रश्न 49 .**

- आरटीपीपी अधिनियम की धारा 8 क्या निषिद्ध करती है?
- (1) प्रतियोगिता को सीमित करने के उद्देश्य से उपापन का विभाजन करना
  - (2) निविदा दस्तावेज इस प्रकार तैयार करना जिससे किसी विशेष बोलीदाता को अनुचित लाभ मिले
  - (3) असंगत या अनुपातहीन योग्यता मानदंड निर्धारित कर बोलीदाताओं की भागीदारी सीमित करना
  - (4) ऐसी तकनीकी विनिर्देश तैयार करना जो किसी विशिष्ट निर्माता के उत्पादों के अनुरूप हों

**Q50.**

- At any time prior to the deadline for presenting bids, the procuring entity may modify the bidding documents by issuing an addendum in accordance with provisions of:
- (1) Section 23
  - (2) Section 22
  - (3) Section 24
  - (4) Section 51

- प्रश्न 50. निविदाएँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व, उपापन संस्था निविदा दस्तावेजों में संशोधन परिशिष्ट (Addendum) जारी करके किस प्रावधान के अनुसार कर सकती है?
- (1) धारा 23
  - (2) धारा 22
  - (3) धारा 24
  - (4) धारा 51

- Q51. The first appellate authority under the RTPP Act shall endeavor to dispose of an appeal:
- (1) Within 7 days from the date of filing
  - (2) Within 10 days from the date of filing
  - (3) Within 30 days from the date of filing
  - (4) Within 60 days from the date of filing

- प्रश्न 51. आरटीपीपी अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority) अपील का निस्तारण करने का प्रयास कितने समय में करेगा?
- (1) दाखिल करने की तिथि से 7 दिन के भीतर
  - (2) दाखिल करने की तिथि से 10 दिन के भीतर
  - (3) दाखिल करने की तिथि से 30 दिन के भीतर
  - (4) दाखिल करने की तिथि से 60 दिन के भीतर

- Q52. Section 42 of the RTPP Act deals with:
- (1) Powers of State Public Procurement Cell under the provisions of the RTPP Act.
  - (2) Interference with procurement process.
  - (3) Judicial review of the decisions taken under the RTPP Act.
  - (4) Bid Security.

- प्रश्न 52. आरटीपीपी अधिनियम की धारा 42 का संबंध किससे है?
- (1) आरटीपीपी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सार्वजनिक उपापन प्रकोष्ठ (SPFC) की शक्तियाँ
  - (2) उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप
  - (3) आरटीपीपी अधिनियम के अंतर्गत लिए गए निर्णयों की न्यायिक समीक्षा
  - (4) बोली सुरक्षा (Bid Security)



- Q53.** Which of the following is **TRUE** with respect to the fees for filing appeals:
- (1) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand.
  - (2) Fee for first appeal shall be rupees two thousand and for second appeal shall be rupees five thousand.
  - (3) Fee for first appeal shall be rupees five thousand and for second appeal shall be rupees ten thousand.
  - (4) Fee for first appeal shall be rupees ten thousand and for second appeal shall also be rupees ten thousand.

**प्रश्न 53 .** अपील दायर करने हेतु निर्धारित शुल्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (1) प्रथम अपील हेतु शुल्क ₹2,500 और द्वितीय अपील हेतु शुल्क ₹10,000
- (2) प्रथम अपील हेतु शुल्क ₹2,000 और द्वितीय अपील हेतु शुल्क ₹5,000
- (3) प्रथम अपील हेतु शुल्क ₹5,000 और द्वितीय अपील हेतु शुल्क ₹10,000
- (4) प्रथम अपील हेतु शुल्क ₹10,000 और द्वितीय अपील हेतु शुल्क ₹10,000

- Q54.** A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if:-
- (1) They have controlling partners in common.
  - (2) They have the same legal representative for purposes of the bid.
  - (3) They receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them.
  - (4) They use the same auditing firm for statutory audit of accounts.

**प्रश्न 54 .** किसी बोली प्रक्रिया में बोलीदाता को अन्य एक या अधिक पक्षों के साथ हितों के टकराव (Conflict of Interest) की स्थिति में माना जा सकता है, यदि निम्नलिखित में से कोई स्थिति हो:

- (1) उनके साझेदार समान हों
- (2) निविदा के प्रयोजन हेतु उनका विधिक प्रतिनिधि समान हो
- (3) उन्हें इनमें से किसी से प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुदान (Subsidy) प्राप्त हुआ हो या हो रहा हो
- (4) वे वैधानिक लेखा-परीक्षा (Statutory Audit) के लिए समान लेखा फर्म का उपयोग करते हों



**Q55.**

A procuring entity may choose to procure the subject matter of procurement by the method of single source procurement in certain situations. Which statement with respect to such a situation is false while adopting single source procurement method:

- (1) Subject matter of procurement is of such nature as requires the procuring entity to maintain confidentiality.
- (2) Subject matter is of artistic nature.
- (3) Owing to a sudden unforeseen event, there is an extremely urgent need for the subject matter of procurement, and engaging in any other method of procurement would be impractical.
- (4) The subject matter of procurement is available only from a few prospective bidders.

**प्रश्न 55 .** कुछ परिस्थितियों में उपापन संस्था एकल स्रोत उपापन पद्धति (Single Source Procurement Method) से उपापन कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ऐसी स्थिति में असत्य है?

- (1) उपापन की विषय वस्तु ऐसी प्रकृति की है जिसमें उपापन संस्था को गोपनीयता बनाए रखनी है
- (2) उपापन की विषय वस्तु कलात्मक प्रकृति की है
- (3) अचानक अप्रत्याशित घटना के कारण उपापन की विषय वस्तु की अत्यंत तात्कालिक आवश्यकता है और अन्य किसी उपापन पद्धति में संलग्न होना अव्यावहारिक है
- (4) उपापन की विषय वस्तु केवल कुछ निविदाकारों से ही उपलब्ध है

**Q56.**

Section 32 provides for:

- (1) Framework of contract agreement.
- (2) Procurement through consultants and notified agencies.
- (3) Competitive Negotiations.
- (4) Two Stage Bidding.

**प्रश्न 56 .** आरटीपीपी अधिनियम की धारा 32 का संबंध किससे है?

- (1) संविदा समझौते की रूपरेखा
- (2) परामर्शदाताओं एवं अधिसूचित एजेंसियों के माध्यम से उपापन
- (3) प्रतियोगी बातचीत (Competitive Negotiations)
- (4) द्वि-प्रक्रमी बोली निविदा (Two-Stage Bidding)



- Q57.** In case of negotiations, which of the following statement is **FALSE**:
- (1) Negotiations can only be undertaken with L1 bidder.
  - (2) Negotiations cannot be undertaken while making procurement under the Finance Department's Notification dated 04.09.2013.
  - (3) Negotiations can be undertaken in case of single source procurement.
  - (4) Negotiations can be undertaken when ring prices have been quoted by the bidders for the subject matter of procurement.

- प्रश्न 57 .** वार्ता (Negotiations) की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
- (1) वार्ता (Negotiations) केवल न्यूनतम मूल्यांकित उत्तरदायी बोलीदाता (L1) से की जा सकती है
  - (2) वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के अंतर्गत उपापन करते समय वार्ता (Negotiations) नहीं की जा सकती है
  - (3) एकल स्रोत उपापन में वार्ता (Negotiations) की जा सकती है
  - (4) जब निविदाकारों ने विषय वस्तु के लिए रिंग मूल्य (Ring Prices) उद्धृत किए हों, तो वार्ता (Negotiations) की जा सकती है

- Q58.** Which one of the following is NOT true with respect to Spot Purchase method of procurement:
- (1) This method can be adopted if estimated cost or value of the subject matter of procurement is less than Rupees fifty thousand on one occasion.
  - (2) The maximum limit of procurement through this method is Rs. Three Lakhs in a financial year.
  - (3) A procuring entity shall procure a subject matter of procurement on the recommendation of the spot purchase committee.
  - (4) Market survey to ascertain the reasonableness of rate, quality and specifications and to identify the appropriate supplier of the subject matter is not required under this method.



प्रश्न 58 . निम्नलिखित में से कौन-सा स्पॉट परचेज पद्धति (Spot Purchase Method) के संबंध में असत्य है?

- (1) यदि उपापन की अनुमानित लागत/मूल्य एक अवसर पर ₹50,000 से कम है, तो इस पद्धति को अपनाया जा सकता है
- (2) इस पद्धति से एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹3,00,000 तक का उपापन किया जा सकता है
- (3) उपापन संस्था स्पॉट परचेज समिति की अनुशंसा पर उपापन करेगी
- (4) इस पद्धति में दर, गुणवत्ता एवं विनिर्देशों की यथोचितता जानने और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता की पहचान हेतु बाज़ार सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है

Q59. Which of the following statements is TRUE:

- (1) Subject to provisions of the Rule 73 of the RTPP Rules, in exceptional circumstances, a procuring entity may even procure additional quantities beyond 50% of the quantity of the individual items.
- (2) Additional Performance Security is required where the bid price is more than 15% above the estimated value.
- (3) A procuring entity is not required to disclose the criteria for bid evaluation in the bidding documents.
- (4) A procuring entity may cancel a procurement process only with the prior approval of the Administrative Department/State Government.

प्रश्न 59 . निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (1) आरटीपीपी नियम 73 के प्रावधानों के अधीन, असाधारण परिस्थितियों में उपापन संस्था व्यक्तिगत मदों की मात्रा से 50% से अधिक अतिरिक्त मात्रा भी उपापित कर सकती है
- (2) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति तब ली जाती है जब बोली मूल्य अनुमानित मूल्य से 15% अधिक हो
- (3) उपापन संस्था को निविदा दस्तावेजों में बोली मूल्यांकन के मानदंड प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है
- (4) उपापन संस्था केवल प्रशासनिक विभाग/राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही उपापन प्रक्रिया निरस्त कर सकती है



**Q60.** Appeals against any decision of the procuring entity under the RTPP

Act can be made in relation to which of the following matters?

- (1) Determination of the need of procurement under Section 5.
- (2) Decision of the procuring entity to adopt the single source procurement method under Section 31.
- (3) Cancellation of a procurement process under Section 26.
- (4) Applicability of the provisions of confidentiality under Section 49.

**प्रश्न 60 .** आरटीपीपी अधिनियम के अंतर्गत उपापन संस्था के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील

निम्नलिखित में से किन विषयों के संबंध में की जा सकती है?

- (1) धारा 5 के अंतर्गत उपापन की आवश्यकता का निर्धारण
  - (2) धारा 31 के अंतर्गत उपापन संस्था द्वारा एकल स्रोत उपापन पद्धति अपनाने का निर्णय
  - (3) धारा 26 के अंतर्गत उपापन प्रक्रिया का निरस्तीकरण
  - (4) धारा 49 के अंतर्गत गोपनीयता के प्रावधानों को लागू किया जाना
-